सं.31011/4/2007-स्था. (क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
***

नई दिल्ली,
दिनांकः 2 मई, 2008

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः- केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988- उत्तर-पूर्व क्षेत्र के भ्रमण के लिए विमान से यात्रा करने में छूट।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 में छूट देते हुए स्थायी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत पर उत्तर-पूर्व क्षेत्र के भ्रमण के लिए विमान से यात्रा की अनुमति देने का निर्णय निम्नानुसार लिया है-

(i) केन्द्र सरकार के समूह 'क' तथा समूह 'ख' कर्मचारी अपने तैनाती के स्थान या निकटतम हवाई अड्डे से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के किसी शहर या निकटतम हवाई अड्डे तक विमान से यात्रा करने के पात्र होंगे।

(ii) कर्मचारियों की अन्य श्रेणियां, गुवाहटी या कोलकाता से उत्तर पूर्व क्षेत्र के किसी शहर की विमान से यात्रा करने की पात्र होंगी।

(iii) केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारी, गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत के एक ब्लॉक को उत्तर पूर्व क्षेत्र के किसी स्थान की छुट्टी यात्रा रियायत में परिवर्तित कर सकेंगे।

2. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।

3. उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों की संख्या संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा रखा जाए।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं।

ह0/-
(ए. के. चतुर्वेदी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः23092313

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग